A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Since March 2002
Geography
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 28-30
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

सरगुजा जिले में सामाजिक कारक एवं ग्रामीण शिशु मर्त्यता : एक भौगोलिक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधपत्र में सरगुजा जिले में सामाजिक कारक एवं शिशु मर्त्यता का भौगोलिक विश्लेषण किया गया है। जिले में शिशु मर्त्यता दर 71.3 प्रति हजार है। जिले में शिशु मर्त्यता दर बालकों में 72.0 प्रति हजार तथा बालिकाओं में 65.4 प्रति हजार है। परिजन्म मर्त्यता दर 22.3 प्रति हजार, नवजात मर्त्यता दर 33.9 प्रति हजार तथा नवजातोत्तर मर्त्यता दर 37.4 प्रति हजार है। प्रसतुत शोध पत्र में सामाजिक कारक के अंतर्गत परिवार का आकार, परिवार का प्रकार, जाति तथा धर्म को शामिल किया गया है। कुँजी शब्द : परिवार, मर्त्यता, प्रारंभिक (परिजन्म), नवजात व नवजातोत्तर।

डॉ.टिके सिंह

प्रस्तावना :

किसी क्षेत्र के मर्त्यता के निर्धारण में आयु संरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनांकिकीय कारक है। यद्यपि शिशु एवं वृद्ध में आयु विशिष्ट मर्त्यता दर उच्च होती है, तथापि मर्त्यता के निर्धारण में शिशु मर्त्यता महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिशु मर्त्यता किसी क्षेत्र के विकास का एक संवेदनशील सूचक है। किसी भी क्षेत्र में शिशु मर्त्यता के जननांकिकीय महत्व तथा इसके अनेक सामाजिक–आर्थिक प्रभावों के फलस्वरूप भूगोलविद् इसके वितरण प्रतिरूप में अत्याधिक रूचि लेते हैं। आयु के अनुसार मृत्यु दर में अंतर पाया जाता है। भिन्न–भिन्न कारणों से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर अधिक होती है तथा उसके बाद मृत्यु का दबाव घटने लगता है। शिशु मर्त्यता दर किसी समुदाय की स्वास्थ्य दशाओं का एक उपयोगी एवं विश्वसनीय सूचक है।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सरगुजा जिले के ग्रामीण जनसंख्या में शिशु मर्त्यता के स्थिति का आकलन एवं सामाजिक कारकों का शिशु मर्त्यता पर प्रभाव की व्याख्या करना है।

आँकड़ों के स्रोत एवं विधितंत्र :

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। इस अध्ययन हेतु जिले के 19 विकासखण्डों में से प्रत्येक से दो गाँव का प्रतिचयन यादृच्छिक विधि (Random Smpling) द्वारा किया गया है। आंकडों के संकलन के लिए दो प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रथम पारिवारिक और द्वितीय व्यक्तिगत अनुसूची। अनुसूची द्वारा 38 ग्रामों के केवल 2691 उन्हीं विवाहित महिलाओं से सूचना एकत्र किया गया, जिन्होंने सर्वेक्षण वर्ष में शिशु को जन्म दिया हो अथवा जिनकी एक वर्ष से कम उम्र के शिशु की मृत्यु अथवा मृत जन्म हुआ है। इन महिलाओं से शिशु मृत्यु तथा प्रभावित करने वाले

समाजिक कारक संबंधी सूचना एकत्र किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :

सरगुजा जिला उत्तर में $22^0 37' 22''$ से $24^0 16' 17''$ उत्तरी अक्षांश तथा $82^0 35'$ से $84^0 51'$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 15731 वर्ग कि.मी. है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,35,9,886 एवं लिंगानुपात 978 है (2011)। जिले की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अंबिकापुर नगर जिले का प्रशासनिक केन्द्र

सहायक प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

है। सर्वेक्षित 2520 परिवारों की कुल जनसंख्या 15571 है। इसमें 1010 (6.5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति और 9837 (63.2 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है।

शिशु मर्त्यता :

शिशु मृत्युदर का संबंध आयु के प्रथम वर्ष में होने वाली शिशु मृत्यु से है। यह किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं की मृत्यु संख्या और उसी वर्ष में जन्म लेने वाले कुल जीवित शिशुओं की संख्या के अनुपात को प्रदिर्शित करता है। जिसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है।

सरगुजा जिले में शिशु मर्त्यता दर 71.3 प्रति हजार है, जिले में बालिकाओं से बालकों में शिशु मर्त्यता दर अधिक है। शिशु मर्त्यता दर बालकों में 72.0 प्रति हजार तथा बालिकाओं में 65.4 प्रति हजार है।

जिले में नवजात मर्त्यता दर (चार सप्ताह के भीतर मृत्यु) 33. 9 प्रति हजार है। इनमें से दो तिहाई मृत्यु प्रारंभिक नवजात मर्त्यता दर (एक सप्ताह के अंदर मृत्यु) है। उम्र में वृद्धि के साथ मर्त्यता दर में कमी हुई है। नवजात्तोतर मर्त्यता दर (28 दिन से 365 दिन में मृत्यु) 37.4 प्रति हजार है। जिले में धरातलीय विविधता एवं सामाजिक कुरीतियों के कारण शिशु मर्त्यता अधिक है (सारणी 1)।

सारणी 01 : सरगुजा जिला–शिशु मर्त्यता दर में लिंग भिन्नता

लिंग	जीवित जन्म	प्रारंभिक नवजात मर्त्यता		नवजात मर्त्यता		नवजातोत्तर मर्त्यता		शिशु मर्त्यता दर/प्रति हजार	
		संख्या	दर	संख्या	दर	संख्या	दर	संख्या	दर
बालक	1972	51	25.9	69	35.0	73	37.0	142	72.0
बालिका	1927	36	18.7	55	28.5	71	36.8	126	65.4
कुल	**3899**	**87**	**22.3**	**132**	**33.9**	**146**	**37.4**	**278**	**71.3**
स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण									

शिशु मृत्यु का कारण :

शिशु मर्त्यता के कारणों को दो वर्गों में रखा है–अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात कारण मूलतः जैव–कारण होते है। जिनमें प्रमुख कारण है–अपरिवक्वता (जन्म के समय शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम), जन्म के समय ही कु–रचित, जन्म की चोटें, दम घुटना और जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही व्यवस्थित पालन–पोषण की कमी। बहिर्जात कारकों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से उत्पन्न संक्रामक रोग जैसे–क्षय रोग, पाचन क्रिया संबंधी रोग, निमोनिया, आदि आते हैं, जिनका संबंध जलवायु, आहार–आपूर्ति तथा जीवन–दशाओं से होता है।

सरगुजा जिले में सर्वेक्षित क्षेत्र में सबसे अधिक शिशु मर्त्यता निमोनिया से 23.1 प्रति हजार हुई है। शिशु मर्त्यता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण अतिसार (12.6 प्रति हजार) है। निम्न जन्म वजन में शिशु मर्त्यता दर 7.4 प्रति हजार है। अन्य कारणों में पीलिया, दुर्घटना अनुवांशिक रोग, रक्त दोष श्वास में तकलीफ बुखार है। निमोनिया से होने वाली शिशु मर्त्यता दर बालकों में 25.4 प्रति हजार और बालिकाओं में 20.7 प्रति हजार है। निम्न जन्म वजन से होने वाली शिशु मर्त्यता दर 6.9 प्रति हजार, अवधि पूर्व प्रसव में 4.6 प्रति हजार, जन्मकालीन अभिघात में 6.7 प्रति हजार शिशु मर्त्यता दर है (सारणी 2)।

सारणी 02 : सरगुजा जिला रू शिशु मर्त्यता का कारण

कारण	शिशु मत्यु की संख्या	शिशु दर मर्त्यता/प्रति हजार
निमोनिया	90	23.1
अतिसार	49	12.6
निम्न जन्म वजन	29	7.4
जन्मकालिन अभिघात	21	5.4
अवधि पूर्व प्रसव	19	4.9
अन्य	70	18.0
कुल	278	71.3
स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण।		

सामाजिक कारक एवं शिशु मर्त्यता :

किसी भी समाज, परिवार का स्वरूप, आकार एवं प्रकार उसकी संस्कृति शिशु मर्त्यता को प्रभावित करती है। ऐसे परिवार में जहाँ पारिवारिक सत्ता बुजुर्ग के हाथ में होती है, जिससे प्रजनन दर अधिक होने के कारण मृत्यु दर तीव्र होती है। प्रत्येक समाज की अपनी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएँ होती है। कुछ समाज में सामाजिक प्रथाओं के कारण बालकों का होना अनिवार्य समझा जाता है, जिसमें कुछ दम्पत्ति लड़का प्राप्ति हेतु नियोजन नही अपनाते और हत्या जैसे कृत्य करने में नही हिचकते है। अतः प्रस्तुत अध ययन में मर्त्यता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों के अंतर्गत परिवार का आकार, परिवार का प्रकार, जाति तथा धर्म को रखा गया है।

परिवार का आकार :

परिवार के आकार से तात्पर्य परिवार की कुल संख्या से है। अध्ययन क्षेत्र में परिवारों के सदस्यों के संख्या के आधार पर चार वर्गो–5 से कम व्यक्ति, 5 से 6 व्यक्ति, 7 से 8 व्यक्ति तथा 9 से अधिक व्यक्ति। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने से शिशु मर्त्यता दर में वृद्धि होती है (जोगी 1996)। डिपोर्ट के अनुसार शिशु मर्त्यता दर उन परिवारों में अधिक पाया जाता है, जिन परिवारों का आकार बड़ा होता है। माता शिशु के पालन–पोषण में भी ध्यान नही दे पाती है। इसके विपरीत जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम है उन परिवारों में शिशु के पालन–पोषण में भी उचित ध्यान दिया जाता है। साथ ही इन परिवारों में आर्थिक और शैक्षणिक स्तर उच्च होता है।

सारणी 03 : सरगुजा जिला : परिवार का आकार एवं शिशु मर्त्यता दर

परिवार का आकार	परिवारों की सख्या	जीवित जन्म	शिशु मर्त्यता	दर/प्रति हजार
=8	337	724	130	179.6
7-8	598	949	90	94.8
5-6	1027	1502	40	26.6
<5	558	724	18	24.9
कुल	**2520**	**3899**	**278**	**71.3**
स्रोत :– व्यक्तिगत सर्वेक्षण				

जिले में 24.9 प्रति हजार 5 से कम सदस्य संख्या वाले परिवार में सबसे कम शिशु मर्त्यता दर है। जबकि 8 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवार में शिशु मर्त्यता दर बढ़कर सबसे अधिक 179.6 प्रति हजार है। 5 से 6 सदस्य संख्या वाले परिवार में यह दर 26.6 प्रति हजार, तथा 7 से 8 सदस्य संख्या वाले परिवार में 94.8 प्रति हजार है। परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ शिशु मर्त्यता दर में क्रमशः वृद्धि हुई है (सारणी 3)।

परिवार का प्रकार :

शिशु मर्त्यता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में परिवार के प्रकार की भूमिका विशेष महत्व रखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः संयुक्त परिवार की बहुलता होती है, जिसमें परिवार का दायित्व घर का मुखिया (बुजुर्ग) पर होता है। इसके विपरीत नाभिकीय परिवार में दायित्व का निवर्हन पति–पत्नी मिलकर करते है। सामान्यतया संयुक्त परिवारों में पुत्र वरीयता के लिए सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव अधिक होता है। सरगुजा जिले में 52.8 प्रतिशत संयुक्त परिवार तथा 47.2 प्रतिशत नाभिकीय परिवार है। जिले में संयुक्त परिवार में शिशु मर्त्यता दर 84.8 प्रति हजार तथा नाभिकीय परिवार में 57.7 प्रति हजार है (सारणी 4)।

सारणी 04 : सरगुजा जिला : परिवार का प्रकार एवं शिशु मर्त्यता दर

परिवार का प्रकार	परिवारों की संख्या	जीवित जन्म	शिशु मर्त्यता	दर/प्रति हजार
संयुक्त	1331	1958	166	84.8
नाभिकीय	1189	1941	112	57.7
कुल	**2520**	**3899**	**278**	**71.3**

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

जाति एवं शिशु मर्त्यता दर :

समाज में विभिन्न जाति एवं सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। शिशु मर्त्यता को प्रभावित करने वाले कारकों में जाति का महत्वपूर्ण स्थान हैं। सामान्यतया अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता एवं निम्न आर्थिक स्तरों के कारण सामाजिक चेतना की कमी होती हैं। इसके अलावा इन समुदायों के व्यक्ति अपनी सामाजिक सभ्यता एवं संस्कृति से इतने बंधे होते हैं, कि इनमें सामाजिक जागरूकता पैदा करना एक कठिन कार्य होता है। शिशु मर्त्यता न केवल विभिन्न धर्मो के बीच अपितु एक ही धर्म की विभिन्न जातियों के बीच भी भिन्न–भिन्न पाई जाती है। जिले में 64.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवार तथा 6.2 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति के है, जो अंधविश्वास एवं रूढ़ीवादिता के वातावरण में घिरे होते हैं, जिसके कारण शिशु मर्त्यता दर प्रभावित होते है। जिले में अनुसूचित जनजाति में शिशु मर्त्यता दर 74.3 प्रति हजार तथा अनुसूचित जाति में 54.9 प्रति हजार (सारणी 05)।

धर्म एवं शिशु मर्त्यता दर :

धर्म शिशु मर्त्यता दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हैं। जिले में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं। विभिन्न समुदायों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में बहुत अंतर होता हैं। जिसका परिणाम शिशु मर्त्यता दर पर पड़ता हैं। किसी व्यक्ति

सारणी 05 : सरगुजा जिला : जाति संरचना एवं शिशु मर्त्यता दर

जाति संरचना	परिवारों की संख्या	जीवित जन्म	शिशु मर्त्यता	दर/प्रति हजार
अ.ज.जा.	1618	2478	184	74.3
अ.जा.	157	255	14	54.9
कुल	**1775**	**2733**	**198**	**72.4**

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

की धार्मिक पृष्ठभूमि उसकी मनोवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

सरगुजा जिले में 94.2 प्रतिशत परिवार हिन्दू तथा 5.8 प्रतिशत परिवार इसाई है। जिले में हिन्दू धर्म की तुलना में इसाई धर्म में शिशु मर्त्यता दर अधिक हैं। हिन्दू धर्म में शिशु मर्त्यता दर 70.1 प्रति हजार है तथा इसाई धर्म में यह दर 92.2 प्रति हजार तथा हैं।

निष्कर्ष :

सरगुजा जिले में शिशु मर्त्यता दर बहुत अधिक है, शिशु मर्त्यता दर को कई कारक प्रभावित करते हैं। शिशु मर्त्यता दर को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में परिवार का आकार, परिवार का प्रकार एवं जाति प्रमुख है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मर्त्यता दर को कम करने के लिये ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जागरूकता अभियानों, मातृत्व एवं शिशु कल्याण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और का संवर्धन करना अति आवश्यक है।

संदर्भ :

(1) *Achyat, P.Lahri, and Acharya (1999) : "Non-Biological Conrrelates of Early Neonatal Evidance from Five Selected Studies of India", Demography India, Vol. 26, No. 2, pp. 241-260.*

(2) *Deporte (1929) : "Inter-Racial Variation in Infant Mortality", A American Journal of Hygine (USA), Vol. V, No. 4, pp. 454-496.*

(3) *Jain. S. P. (1979) : Levels and Differentials of Infand and Child Mortality Determinants and Demographic Impact. Demographic & Socio-Economic Aspect of Child in India, Himalaya Publishing House Bombay.*

(4) *Mehta S. R. (1982) : "Maternal and Child Health and Family Planning in An Island Village Locality", The Journal of Family Welfare Vol. 38, No. 4, pp. 66-77.*

(5) *Office of The Ragistrar General, India (1979) : Sample Registration Bulletin, New Delhi, Ministry of Home Affairs II (1)*

(6) *Smucker, C.M. et al (1980) : "Neo-natal Mortality in South Asia : The Special Role of Tetanus", Population Studies, Vol. 34, No.2 pp. 321-335.*

❁❁

Since March 2002
A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Geography
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 31-32
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

प्रकृति : पर्यावरण और विकास का दुखता सम्बंध

प्रस्तुत शोधपत्र प्रकृति : पर्यावरण और विकास के सम्बंधों पर आधारित है। मानव-प्रकृति सम्बंध में कटुता का मुख्य कारण मानव-समाज की भौतिकवादी संस्कृति है। जिसका मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, प्रकृति के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार और प्रकृति को बलपूर्वक अपने वश में करने की भावना। इस संस्कृति का दर्शन क्रिश्चियन धार्मिक परम्परा की देन है, जिसके अनुसार प्रकृति की समस्त वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार है और उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करना चाहिए। यही कारण है कि संसाधनों के विदोहन में मानव संवेदनहीन मार्ग का अनुसरण करके स्वयं को प्रगतिशील करता रहा और पर्यावरणीय तत्वों को पंगु बनाता रहा है, जिसका परिणाम आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है।

डॉ.इन्दुशेखर उपाध्याय

प्रविधि सम्पन्न आर्थिक मानव ने वर्तमान समय में बहुमुखी विकास कर लिया है। अन्तरिक्ष विजय की श्रृंखला में आज का मानव अन्य ग्रहों पर जीवन की प्रत्याशा की खोज में है। आज 'दुनिया मेरी जेब में' कहावत पूरी तरह चरितार्थ है। फिर भी सम्पूर्ण जैव–जगत संकटग्रस्त होता जा रहा है। भौतिक जीवन की सुलभता वृद्धि के साथ–साथ जीवन की क्षण–भंगुरता भी वृद्धिगामी होती जा रही है। सर्वविदित है कि सम्पूर्ण भौतिक विकास संसाधन विदोहन का परिणाम है। लेकिन विकास की पिपासा ने मानव को आज विनाश के दहलीज पर खड़ा कर दिया है। नित्य प्रति नये शोध एवं आंकड़ों का मायाजाल रचा जा रहा है। समाज से नैतिक मूल्यों का विलोपन होता जा रहा है। सम्पूर्ण पारिस्थैतिक तंत्र 'नीचे से ऊपर' तक असंतुलन की चहारदीवारी में घिरता हुआ पूरी तरह प्रदूषित हो गया है। जबकि वर्तमान समय में अधिकांश शोध–संगोष्ठी, शोध–कार्य, लेखन एवं सरकारी योजनाएँ पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित हैं। देश में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के जितने आंकड़ें आ रहे हैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका तुलनात्मक विवेचन किया जाय तो अब तक देश के कुल क्षेत्रफल से कहीं अधिक वृक्षारोपण हो गया है, लेकिन यथार्थ दृष्टव्य है। विचारणीय है कि इसके बाद भी पारिस्थैतिक संतुलन उत्तरोत्तर बिगड़ता ही जा रहा है, जो सम्पूर्ण विश्व के लिए भयंकर संकट है।

आज की तीव्र तकनीकी प्रगति, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नये पदार्थो तथा ऊर्जा के नये रूपों के समावेश, तेल, गैस, कोयले, तथा विभिन्न अयस्कों व खनिजों के विदोहन, रासायनिक प्रयोग में हुई प्रगति तथा खाद्य पदार्थो में मिलाये जाने वाले पदार्थो रंगों तथा परिरक्षी व उर्वरकों आदि के फलस्वरूप उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में मनुष्य एक नये कृत्रिम पर्यावरण में तथा उसके विविध तत्वों के एक नये तकनीक– जन्य, जैव–मण्डल, जैवतकनीक–मण्डल, के सम्पर्क में आ गया है। आज कल प्रकृति के साथ समाज की अन्तक्रिया इतनी व्यापक हो गयी है कि उससे सम्पूर्ण जैव जगत के साथ जलवायुविक तन्त्रों को प्रभावित करने का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसे पर्यावरणीय संकट के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय विक्षोभ (असन्तुलन) का कारण औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण, ऊर्जा और कच्चे माल के पारम्परिक ह्रास, जनसंख्या वृद्धि, जैव मण्डल की स्वतः नियामक क्रियाविधि के विघटन जीव जन्तुओं के खाद्य साधनों के विनाश और औद्योगिक तथा अन्य प्रदूशकों के नकारात्मक परिणामों के परिणास्वरूप मनुष्य के आनुवंशिक अपविकास का खतरा बढ़ता जा रहा है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति ने मनुष्य को प्रकृति पर अभूतपूर्व अधिकार प्रदान कर दिया है। हम शब्दशः पर्वतो को हटा सकते हैं, और विशाल रेगिस्तानों को उर्वर मरूधानों में परिणत कर सकते हैं। हम प्राकृतिक जगत में मौलिक परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे उत्पादक व आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलाप अंतरिक्ष तक विस्तृत हो गए हैं। इसके साथ ही यह जाहिर हो गया है कि मानव प्राकृतिक तत्वों पर अन्तहीन अतिक्रमण तथा बगैर सोचे समझे उसमें बड़े–बड़े परिवर्तन करके प्रकृति के साथ विवेकहीन व्यवहार नहीं कर सकता है और वस्तुतः करना भी नहीं चाहिए। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, भीत ऋतु में उष्णता का प्रकोप, सूनामी लहरों तथा समुद्री तूफान का आना, भूस्खलन, भूकम्प, विभिन्न नवीन विमारियों का प्रकोप, तनाव ग्रस्त मानव जीवन, आदि इसी का भयावह परिणाम है। हम उत्पादक कार्यो के द्वारा जैव–मण्डल में हुए परिवतनों के कारण उन्पन्न पारिस्थैतिक–असन्तुलन की किसी भी दशा में नजरंन्दाज नहीं कर सकते हैं।

आधुनिक पारिस्थतिक अनुसंधान ज्ञान प्राप्त हो गया है, कि जैव–मण्डल पर मानव के अनवरत, एकतरफा और अनियंत्रित प्रभाव से हमारी सभ्यता एक भौतिक एवं प्रौद्योगिक सभ्यता में परिवर्तित

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (भूगोल विभाग), सन्त तुलसीदास पी.जी.कॉलेज, कादीपुर, सुलतानपुर (उत्तरप्रदेश)

होती जा रही है। जिससे पृथ्वी पर सम्पूर्ण जैव–जगत के विनाश का खतरा परिलक्षित होने लगा है। इसलिए आवश्यक हैकि हम पृथ्वी पर जीवन–प्रणाली के विभिन्न तत्वों पर अपने वैज्ञानिक प्रभाव को सावधानी पूर्वक देखतें रहें। मौलिक प्राकृतिक–पर्यावरण को मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार रूपान्तरित करना तथा प्रकृति की विनाशक शक्तियों जैसे – भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, सूखा, हिमवर्षा, चुम्बकीय एवं सौर्य आंधियाँ, रेडियो सक्रियता, तथा अन्तरिक्षीय विकिरणों के विरूद्ध संघर्ष करना आवश्यक हो गया है, परन्तु ऐसा संघर्ष केवल उन्हीं नियमों के अनुसार किया जा सकता है, जिसके द्वारा जैव मण्डल एक अखण्ड एवं स्वतः नियामक प्रणाली के साथ में काम करता तथा विकसित होता है। परन्तु आज यह प्रभाव इतने व्यापक है कि जैव–मण्डल बाह्य सहायता एवं समाज की सहायता के बिना मानव के विनाशक प्रभाव से संघर्ष नहीं किया जा सकता।

पारिस्थितिक असन्तुलन का प्रभाव समस्त जीवधारियों अर्थात् पृथ्वी की सम्पूर्ण जीवन प्रणाली पर पड़ सकता है, जिससे अनेक पक्षी, जानवर तथा पौधे बड़े पैमाने पर विलुप्त होते जा रहे है। पिछले 2000 वर्षो में जितनी जातियाँ विलुप्त हुई हैं, उसमें से 65 प्रतिशत से अधिक सन् 1900 के बाद हुई है। जैविक विदों की मान्यता है कि पिछले 350 वर्षो से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक प्रति दस वर्ष में एक प्रजाति के प्राणी नष्ट हुए हैं। वर्तमान में प्रतिवर्ष एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा संगठन का अनुमान है कि लगभग 1000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। पौधों की किसी एक जाति के लुप्त होने से कीटों, जानवरों तथा अन्य पौधों की 10 से 30 तक की प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। यदि पृथ्वी के इस दरिद्रीकरण को रोका न गया, तो वह दिन दूर नहीं, लोगों के चेतने के पहले ही जैव–मण्डल अविपर्येय रूप में बदल जायेगा। बेशक क्रम–विकास जारी रहेगा, लेकिन मूलतः विरूपित रूप में । इसलिए अब प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध तथा नियोजित अन्तर्क्रिया की आवश्यकता है।

विचारणीय है कि मानव–प्रकृति सम्बन्ध में कटुता का मुख्य कारण मानव–समाज की भौतिकवादी संस्कृति है। जिसका मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, प्रकृति के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार और प्रकृति को बलपूर्वक अपने वश में करने की भावना। इस संस्कृति का दर्शन जड़ों क्रिश्चियन धार्मिक परम्परा की देन है, जिसके अनुसार प्रकृति की समस्त वस्तुओं पर मनुष्य का अधिकार है और उसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करना चाहिए। यही कारण है, कि संसाधनों के विदोहन में मानव संवेदनहीन मार्ग का अनुसरण करके स्वयं को प्रगतिशील करता रहा और पर्यावरणीय तत्वों को पंगु बनाता रहा है, जिसका परिणाम आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। मानव जो सृष्टि की सृष्टा का सर्वोत्तम कलाकृति है, केवल पर्यावरण सन्तुलन के विषय में सोचता रहा। पश्चिमी देशों के विचारकों में शुरू से ही पर्यावरणवाद और साम्यवाद का वैचारिक मन्थन होता रहा। इस द्वन्द्व का ही परिणाम रहा कि भौतिकवादी संस्कृति में आर्थिक मानव का प्रभाव आध्यात्मिक मानव से ऊपर माना जाता रहा। परन्तु भारत सदैव से प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहा है, जिसके कारण यहाँ कोटिशः वर्षो की मानवीय संस्कृति में ऐसा संकट कभी उत्पन्न नहीं हुआ कुछ दशक की प्रगति में देखने को मिल रहा है। आज भौतिक मानव की सभ्यता की दौड़, हाथ में ग्रेनेड बम लिए बन्दर के समान है। यह किसी को नही मालूम कि कब और कहाँ बन्दर ग्रेनेड का प्रहार कर देगा, और विश्व विनाश की दहलीज पर पहुँच जाएगा।

इसलिए आवश्यकता है कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर प्रकृति के प्रति समन्वित संविकास का दृष्टिकोण अपनाया जाए। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा का प्राचीन स्वरूप आचरण परक रहा है। भारत में मनीषियों ने पर्यावरणीय शिक्षा को जन–जन तक पहुँचाने के लिए धर्म और सामाजिक परम्पराओं का सहारा लिया। फलतः पर्यावरणीय निर्देशों को धार्मिक और सामाजिक निर्देश बना लिया गया, जो साधारण जन के आचरण के आधार बन गए। फलतः पर्यावरणीय आचरण परक बन जाने के कारण भारत में हजारों साल तक किसी प्रकार की पर्यावरणीय कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं हुई। आधुनिक काल में धर्म के प्रति बढ़ती अरूचि और सामाजिक उत्थान के लिए पश्चिमी समाज के अनुकरण के कारण न तो पुरानी पद्धति सशक्त रह सकी, न ही नयी विधि पर ध्यान दिया गया। ऐसी दशा में जहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी को जो जीवन की गुणवत्ता की प्रतीक भी थी, प्रदूषित किया जा रहा है। वन विनाश भी ऐसे ही आचरण का परिणाम है। 1972 के स्टाकहोम संगोष्ठी के बाद विश्वस्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जो जागरूकता आयी, उससे भारत भी प्रभावित हुआ।

पर्यावरणीय शिक्षा मात्र ज्ञान वृद्धि नहीं है, अपितु जीवन शैली से इसका घनिष्ठ सम्बंध है। इसकी व्यवहारिकता इस बात से प्रमाणित है कि जीवन को निरापद बनाने के लिए प्राकृतिक उपादानों के उपयोग और संरक्षण का ज्ञान प्राप्त होता है। आज प्रदूषण की जो भयावह स्थिति नगरो में देखने को मिलती है, उसके कारण और निवारण के लिए नवचेतना जागृत करना पर्यावरणीय शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है। जैसे प्लास्टिक एवं पॉलीथीन से बनी वस्तुएँ मोहक और सुविधाजनक अवश्य लगती है, लेकिन इनसे उत्पन्न अपशिष्ट का निश्पादन संकट पैदा कर दिया है। इसके निवारण के लिए जनचेतना सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। पर्यावरणीय चेतना को गम्भीरता से लेने का ही परिणाम है कि सर्वोच्च न्यायालय को गंगा के किनारे स्थापित कारखानों को बन्द करने का आदेश देना पड़ा, जिससे गंगा जल की शुद्धता बनी रहे। भारत सरकार भी इसके लिए कृतसंकल्प है, किन्तु परिणाम अभी सन्तोषजनक नहीं है।

पर्यावरण चेतना और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। आधुनिक सन्दर्भ में यह दायित्व शासन का समझा जाता है, जो उचित नहीं है। वास्तव में पर्यावरणीय शिक्षा का दायित्व समूचे समाज का है, क्योंकि वह सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में प्रकृति से अर्न्तक्रिया करता है। यही कारण है कि भारत में वाछित सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सामाजिक भागीदारी नगण्य है, जो है भी वह समाचार पत्रों में सिमटकर रह गयी है। कुछ क्षेत्रों जैसे वानिकी आदि में सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। वस्तुतः पर्यावरणीय शिक्षा का प्रथम दायित्व माता–पिता का होता है, जो बच्चों में प्रकृति के प्रति चैतन्यता का अवबोध कराते हैं। दूसरे स्तर पर शिक्षक और प्रशिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए सरकार और समाज दोनो को अपनी सीमाओं में सफल भागीदारी करनी चाहिए, तभी देश की प्रकृति–परायणता पुनः स्थापित हो सकेगी।

❁❁

Since March 2002
A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Geography
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 33-35
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

जल संसाधन का पर्यावरण परिवर्तन पर प्रभाव (जनपद सुलतानपुर के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में जनपद सुलतानपुर के विशेष संदर्भ में जल संसाधन का पर्यावरण परिवर्तन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सुलतानपुर जनपद में जल की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद भी पेयजल की समस्या काफी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या को गर्मी के दिनों में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जनपद में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को जल के संकट से गुजरना पड़ता है। सुलतानपुर जनपद में पेयजल के लिए सतही जल का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जनपद की नदियों, तालाबों व झीलों का जल अनेक प्रकार के प्रदूषकों में मिल जाने से शुद्ध किये जाने योग्य नहीं रह गया है। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि भूमिगत जल के सम्पूर्ति व दोहन में संतुलन बना रहे, जिससे भावी विकास योजनाएँ बनायी जा सके।

डॉ.मनोराज पाल

जल एक आधारभूत जीवन–रक्षक प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसका न केवल मानव जीवन अपितु समस्त जैव–जगत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्राकृतिक संसाधनों का अग्रज है और अपनी इसी महत्ता के कारण आदिकाल से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं का प्रारम्भिक विकास नदी–घाटियों के परिवेश में हुआ है। जल की महत्ता का आकलन मात्र इस तथ्य से ही लगाया जा सकता है कि मानव शरीर में 71 प्रतिशत एवं वनस्पतियों में 75 प्रतिशत जल का अंश होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायु के बाद यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौतिक तत्व है। आदिकाल से वर्तमान युग तक लाखों वर्षों की अवधि में इसके उपयोग की आवृत्ति में वृद्धि के कारण इसका महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आदि हिन्दू–संस्कृति एवं बौद्धिक साहित्य में जल एक देवता का प्रतीक है।

आज भी धरातल पर सामान्यतः जल विहीन क्षेत्र मानव विहीन हैं। इसके विपरीत अत्यधिक जल मानव के सामान्य जीवन मे सुविधा के स्थान पर असुविधा का द्योतक बन जाता है। किन्तु इसे संरक्षित करने के सभी उपाय इसकी उपयोगिता वृद्धि के कारण बन गए हैं। कृषि कार्य के लिए मिटटी, जल, ऊर्जा, परिवहन, धन तथा बाजार एवं खाद, बीज की आवश्यकता पडती है, परन्तु जल की भूमिका अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, क्योंकि बिना जल सम्पूर्ति के कृषि संभव नहीं है।

सुलतानपुर जनपद में जल पर्यावरणीय समस्या का अध्ययन वहाँ का मौसम, भौतिक संरचना एंव उच्चावच नदी, नाले, मिटटी, वनस्पति तथा वर्षा जल को ग्रहण करने की क्षमता आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि ये तत्व मानव तथा पर्यावरण के सम्बन्ध तथा जल की उपयोगिता से जुड़े हैं। सुलतानपुर जनपद में जल की उपलब्धता मुख्य दो स्तरों यथा– सतही जल एवं भूमिगत जल द्वारा होती है।

सतही जल :

सतही जल के अन्तर्गत उन सभी स्रोतों को रखा गया है, जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। इस जल का कुछ भाग भूमिगत हो जाता है, कुछ बहाव के कारण नहरों तालाबों, पोखरों आदि से गुजरता हुआ नालों के माध्यम से नदियों में चला जाता है। सुलतानपुर जनपद में सतही जल मुख्यतः तालाबों, गड्ढों, नहरों, नदियों में पाया जाता है–मौर्या। वर्षा काल में नदियाँ अत्यधिक जल को प्रवाहित करने में असमर्थ होकर एक विस्तृत भू–भाग को जल प्लावित कर बाढ़ की विभीषिका पैदा कर देती है। सुलतानपुर मध्य गंगा मैदान में स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। यहाँ जल के प्रमुख स्रोत वर्षा का जल हैं। जनपद में वार्षिक औसत वर्षा 11.11 सेन्टीमीटर है। इस वर्षा की अधिकांश मात्रा वर्षा ऋतु में 15 जून से 15 सितम्बर तक प्राप्त होती है। जनपद में सतही जल के मुख्य स्रोतों में नदियों, तालाबों, नहरों आदि को सम्मिलित किया गया है :

(1) गोमती नदी **(2)** बिसुई नदी **(3)** मझुई नदी,

(4) सई एवं उसकी सहायक नदियाँ **(5)** तालाब, नहरें एवं झीलें।

भूमिगत जल :

''भारत वर्ष में भूमिगत जल के दोहन का कार्य सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश से प्रारम्भ किया गया। इसे प्रायोगिक नलकूप स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वित किया गया।'' जनपद में भूमिगत जल प्रायः 50 फीट की गहराई पर पाया जाता है। इसका अंकन राजकीय नलकूप

सहायक प्राध्यापक (भूगोल विभाग), स्व.रामराज वर्मा महाविद्यालय, सारंगपुर, सुलतानपुर (उत्तरप्रदेश)

(1661) के लगाने के बाद किया गया। जनपद के सर्वेक्षित कुओं में जल स्तर की औसत अधिकतम् गहराई 50 फीट तथा न्यूनतम् गहराई 20 फीट है। अतः गोमती नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर निम्न तथा कुछ क्षेत्रों में जल स्तर उच्च पाया गया। सुलतानपुर जनपद समय के साथ सिंचाई के परम्परागत साधन समाप्त होते जा रहे हैं तथा सिंचाई के नवीन साधन विकसित हो रहे हैं। उनमे नलकूप व पम्पिंग सेटों का प्रमुख स्थान है। अध्ययन क्षेत्र में सरकारी नलकूपों की कुल संख्या 757 तथा पम्पिंग सेटों की कुल संख्या 1310181 है। जनपद में विकासखण्डवार इनका वितरण तालिका 1 में प्रदर्शित है।

तालिका 1 : सुलतानपुर जनपद में विकासखण्डवार भूमिगत जल के निकासी के स्रोत (2015–2016)

क्र0	विकासखण्ड	सरकारी नलकूप की संख्या	पक्के कुओं की संख्या	पम्पिंग सेटों की संख्या
1	शुकुलबाजार	13	00	**4422**
2	जगदीशपुर	27	00	**5836**
3	मुसाफिरखाना	43	00	**5894**
4	बल्दीराय	47	00	**4125**
5	जामो	29	00	**3793**
6	शाहगढ़	36	00	**4156**
7	गौरीगंज	04	00	**3518**
8	अमेठी	31	00	**8093**
9	भेटुआ	54	23	**4770**
10	भादर	40	00	**5261**
11	संग्रामपुर	30	530	**2555**
12	धनपतगंज	18	158	**7217**
13	कूरेभार	16	00	**4814**
14	जयसिंहपुर	44	00	**4991**
15	कुड़वार	24	00	**7300**
16	दूबेपुर	42	00	**6087**
17	भदैंया	44	142	**5320**
18	दोस्तपुर	19	00	**7340**
19	अखण्डनगर	30	00	**11079**
20	लम्भुआ	33	00	**8059**
21	प्रतापपुर कमैचा	09	00	**5613**
22	कादीपुर	87	00	**4365**
23	मोतिगरपुर	37	00	**3273**
जनपद योग		**757**	**853**	**131081**

सिंचाई विभाग, जनपद सुलतानपुर।

उपयोग की दृष्टि से जल को निम्न शीर्षकों मे आबद्ध कर सकते हैं :

(1) आहरण प्रयोग : सिंचाई, पीने के लिए, धुलाई, उद्योग के लिए।

(2) प्रवाह प्रयोग : जल विद्युत उत्पादन।

(3) स्थानीय प्रयोग : भण्डारण मत्स्य पालन आदि।

कृषि हेतु जल का उपयोग :

भारत जैसे मानसूनी देश में कृषि से अधिकतम् उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की महती आवश्यकता होती है। सिंचाई के अभाव में कृषि का विकास अत्यन्त दुष्कर कार्य है। आधुनिक समय में कृषि में अनेक नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक प्रयोग में लाये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिक भास्य, उत्पादन हेतु जल के अधिकाधिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

जनसंख्या वृद्धि एवं मानव के उच्च स्तरीय रहन–सहन का सीधा सम्बन्ध जल से है। सुलतानपुर जनपद के विशाल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु सिंचाई और पेय जल व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सुलतानपुर जनपद में सिंचाई के प्रमुख जल स्रोतों में नहर, नलकूप, झील एवं तालाब है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल की मात्रा वर्षा के आधार पर प्रतिवर्ष कम एवं अधिक होती रहती है, जो तालिका 2 से प्रदर्शित है।

तालिका 2 : सुलतानपुर जनपद में विगत वर्षों में सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत में)

क्रमांक	वर्ष	कुल सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में
1.	1997–98	**72.6**
2	1998–99	**75.0**
3	2000–01	**75.4**
4	2002–03	**81.9**
5	2003–04	**82.5**
6	2004–05	**85.8**
7	2005–06	**82.9**
8	2007–08	**82.9**
9	2010–11	**82.5**
10	2015–16	**83.3**

सिंचाई विभाग, जनपद सुलतानपुर।

पेयजल का उपयोग :

जल के अभाव में कोई भी जीवन सम्भव नहीं है। ब्रुन्ज के अनुसार, ''जल प्रत्येक क्षेत्र में मानव के क्रिया–कलापों पर अपना पूर्ण प्रभाव डालता है।'' मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्यों में जल का महत्वपूर्ण स्थान है जैसे– सिंचाई, भूमि उपयोग, जनसंख्या, जलविद्युत उत्पादन एवं जल परिवहन जैसी महत्वपूर्ण क्रियायें जल द्वारा ही सम्पादित होती हैं। जनपद में पीने के लिए अधिकांशतः भूमिगत जल का ही प्रयोग किया जाता है। जिसे नलकूपों, हैण्डपम्पों व कुओं की सहायता से प्राप्त किया जाता है।

बाढ़ तथा जल जमाव सम्बंधी समस्या :

सुलतानपुर जनपद में बाढ तथा जल जमाव प्रायः बरसात के महीनों में होता है। वर्षा के दिनों में गोमती नदी बाढ़ आने के कारण समीपवर्ती क्षेत्र बाढ़ तथा जल जमाव से ग्रसित हो जाता है। प्राकृतिक प्रकोप के रुप में बाढ एवं जल जमाव की समस्या भूमि उपयोग एवं कृषि को प्रभावित करती हैं। जनपद में गोमती नदी एवं छोटे बडे तालाबों एंव नाले प्रभावित क्षेत्र मे वर्षा के दिनों में बाढ़ एवं जल जमाव की समस्या उत्पन्न करते हैं। यही जल मग्नता जनपद के कृषित भूमि के ऋणात्मक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि खरीफ फसलों के बुवाई के समय ही मानसून के आगमन का समय होता है। वैसे तो जनपद में बाढ एवं जल जमाव की समस्या अधिक नहीं है। फिर भी गोमती नदी के तटवर्ती भागों में इस समस्या को देखा जा सकता है।

पेयजल की समस्या :

सुलतानपुर जनपद में जल की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद भी पेयजल की समस्या काफी है। खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या को गर्मी के दिनो में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जनपद में आर्थिक दृष्टि पिछडी जातियों को जल के संकट से गुजरना पड़ता है। सुलतानपुर जनपद में पेयजल के लिए सतही जल का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जनपद की नदिर्यों, तालाबों व झीलों का जल अनेक प्रकार के प्रदूषकों में मिल जाने से शुद्ध किये जाने योग्य नहीं रह गया है। जनपद सुलतानपुर में पेयजल के रूप में अधिकांशतः भूमिगत जल का ही उपयोग किया जाता है, जिसे हैण्डपम्प, नलकूप, कुओं से प्राप्त किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिका नलकूपों की सहायता से जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है। जनपद में भूमिगत जलस्तर अधिक नीचेहोने के कारण नल एवं हैण्डपम्प इण्डिया मार्का–2 का प्रयोग सर्वसुलभ है। अतः वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि भूमिगत जल के सम्पूर्ति व दोहन में सन्तुलन बना रहे, जिससे भावी विकास योजनाएँ बनायी जा सके।

जनपद सुलतानपुर की प्रमुख सतत् वाहिनी नदी गोमती है। वर्षा ऋतु में इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके निदान के लिए नदियों की तलहटी में बस्तियों को अन्यत्र स्थापित किया जाना चाहिए। गोमती नदी के बाढ़ से सुलतानपुर जनपद के मुख्यालय (हथियानाला, गोलाघाट, सीताकुण्ड) प्रतिवर्ष होने वाले अप्रत्याशित जल भराव से ग्रस्त हो जाते है। अतः नदी के जल के व्यापक फैलाव को रोकने एवं स्थायी एवं मजबूत तटबन्धों का निर्माण आवश्यक हो गया है।

जनपद की अन्य छोटी नदियाँ यथा सई, बिसुई एवं मझुई है। वर्षा ऋतु में इन नदियों का जल जगह–जगह अवरूद्ध हो जाता है तथा इसमें जलकुम्भी, काई, नलकूप आदि वनस्पतियाँ उग जाती है, जिससे एक तरफ इसका पशुओं व कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी हो जाती है। दूसरी तरफ नदियों के नियमित जल प्रवाह को वनस्पतियाँ बाधित करती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। अतः जल प्रवाह को नियमित बनाने के लिए नालों की सफायी की जानी चाहिए, जिससे इनको उपयोगी बनाया जा सके।

सुलतानपुर जनपद में अन्धाधुन्ध वनों की कटाई, कृषि का विस्तार तथा बढ़ती जनसंख्या आदि वृद्धि, जल की गुणवत्ता तथा उपलब्धता को काफी प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में जल संसाधनों का काफी हद तक नई विकास के नाम पर दोहन किया गया। जनपद में लगभग 75 प्रतिशत जल मानसून से प्राप्त होता है।

जनपद में भूमिगत जल संग्रहण क्षमता भी काफी कम है। इसका मुख्य कारण बलुई मिट्टी का होना है। जैसा कि अध्ययन से पता चलता है कि गर्मी के महीनों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 45.5 गैलन पानी की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्य की 70 प्रतिशत बीमारियों का सम्बन्ध प्रदूषित जल से है। पर्यावरण के बदलते स्वरूप तथा इसका जल स्तर पर प्रभाव को समझने हेतु विभिन्न समयान्तर पर आवश्यक होता है। इसके साथ ही विकास के बदलते स्वरुप का, जल पर प्रभाव जानने के लिए भौतिक तथा रासायनिक गुणों का ऑकलन अपेक्षित है।

<u>सन्दर्भ</u> :

(1) सिंह, करुणा निधान (2001) : ''जौनपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय ह्रास'' : एक भौगोलिक अध्ययन, पृष्ठ 115.

***(2)** दुबे, आदित्य प्रकाश (2005) : ''जनपद फैजाबाद (उ0प्र0) में जल संसाधन प्रबन्धन एवं कृषि विकास नियोजन'' : एक भौगालिक अध्ययन।*

❁❁

Since March 2002
A National, Registered, Peer Reviewed & Refereed Monthly Journal
Geography
Research Link - 174, Vol - XVII (7), September - 2018, Page No. 36-38
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

जनसंख्या का आव्रजन व प्रवजन - जनपद प्रतापगढ़ (उत्तरप्रदेश)

प्रस्तुत शोधपत्र में उत्तरप्रदेश की प्रतापगढ़ जनपद की जनसंख्या के आव्रजन व प्रवजन का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सन् 2001 में कुल ग्रामीण प्रवजन का ग्रामीण से नगर में प्रवजन 15.8 प्रतिशत है। जनपदान्तर्गत कुल ग्रामीण प्रवजन 60.83 प्रतिशत का ग्रामीण से नगर में मात्र 3.99 प्रतिशत का प्रवजन हुआ है। अन्य जिलों में कुल ग्रामीण प्रवजन सबसे अधिक 34.25 प्रतिशत ग्रामीण से नगर में हुआ है। जनपदान्तर्गत प्रवजन एवं राज्य के अन्य जिलों में प्रवजन का सर्वाधिक मुख्य कारण रोजगार एवं विवाह पक्ष है। भारत के अन्य प्रान्तों में कुल ग्रामीण प्रवजन 0.51 प्रतिशत हुआ है, जिसका 90.70 प्रतिशत ग्रामीण से नगर में हुआ है। इसमें सर्वाधिक प्रवजन महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में हुआ है। महाराष्ट्र के उद्योगों में कार्यरत रहने के कारण प्रवजन हुआ है। अन्य राष्ट्रों में कुल ग्रामीण प्रवजन, शिक्षा एवं व्यवसाय हेतु हुआ है।

डॉ.निधि सिंह

आव्रजन व प्रवजन जनसंख्या स्थानान्तरण के स्वरूप हैं एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। आव्रजन का तात्पर्य किसी क्षेत्र या प्रदेश से मानव का आगमन भारतवर्ष में पाकिस्तान से हिन्दुओं एवं पाकिस्तान में भारत से मुसलमानों का स्थानान्तरण आव्रजन का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अध्ययन क्षेत्र में इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर आदि जिलों से जनसंख्या का आव्रजन हुआ है। कानपुर, नोयडा, दिल्ली, प0 बंगाल, पाकिस्तान, वर्मा, नेपाल, सिंगापुर, आदि स्थानों से जनपद प्रतापगढ़ में जनसंख्या का आव्रजन एवं प्रवजन हुआ है। प्रवजन के अन्तर्गत मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करता है। 1918–1931 के मध्य जापान से प्रतिवर्ष 120,000 मनुष्यों का प्रवजन होता रहा। अध्ययन क्षेत्र में 1951 की जनगणना में कुलियों का प्रवजन फिजी एवं मलेशिया में हुआ है। इसके अतिरिक्त जनपद प्रतापगढ़ के मूल निवासी भी रोजगार, शिक्षा के लिये देश–विदेश में प्रव्रजित हुए हैं।

अध्ययन क्षेत्र में सन् 2001 में कुल जनसंख्या का 24.27 प्रतिशत ग्रामीण स्थानान्तरण हुआ है। ग्रामीण स्थानान्तरण में पुरुषों की संख्या 7.97 प्रतिशत एवं स्त्रियों का प्रतिशत 92.03 प्रतिशत है, जो पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का स्थानान्तरण का सर्वाधिक स्थानान्तरण जनपदान्तर्गत 69.98 प्रतिशत हुआ है। जिससें स्त्रियों एवं पुरुषों का प्रतिशत क्रमशः 90.95 एवं 9.05 है।

तालिका 1 : ग्रामीण जनसंख्या का स्थानान्तरण 2001 (प्रतिशत में)

क्र0	वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	69.95	9.05	90.95
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	29.02	7.25	92.48
3	भारत के अन्य प्रान्तों में पैदा हुए	1.00	37.81	62.19
	कुल स्थानान्तरण	**100.00**	**7.97**	**92.03**

जनपद में यह स्थिति मुख्य तथा अन्तर्जिला वैवाहिक प्रतिरुप के फलस्वरुप विद्यमान है। इसी प्रकार अन्य जिलों से 29.02 प्रतिशत तथा अन्य प्रान्तों से सबसे कम प्रतिशत ग्रामीण स्थानान्तरण हुआ है। वैवाहिक पक्ष के फलस्वरुप जनपद में सर्वाधिक स्थानान्तरण स्त्रियों का हुआ है।

ग्रामीण भाग से ग्रामीण भाग में स्थानान्तरण :

ग्रामीण भाग से ग्रामीण भाग में स्थानान्तरण कुल स्थानान्तरण का सन् 2001 में 96.72 प्रतिशत हुआ है। गाँव से गाँव का स्थानान्तरण कुल जनपदान्तर्गत स्थानान्तरण का 99.04 प्रतिशत है। जिले के अन्तर्गत कुल स्थानान्तरण 68.53 प्रतिशत रहा है। राज्य के अन्य जिलों से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरित जनसंख्या 5.02 प्रतिशत रही है तथा अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण 94.98 प्रतिशत है। भारत के अन्य प्रान्तों के ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानान्तरित जनसंख्या 1.00 प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण से ग्रामीण 42.05 प्रतिशत है।

तालिका 2 : ग्रामीणों की स्थानान्तरित जनसंख्या 2001 (प्रतिशत में)

क्र0	वर्ग	कुल	ग्रामीण से ग्रामीण	नगर से ग्रामीण
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	68.53	99.04	0.96
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	30.41	94.98	5.04
3	भारत के अन्य प्रान्तों में पैदा हुए	1.00	42.05	57.95

जनसंख्या का नगरीय भाग से ग्रामीण में स्थानान्तरण :

सन् 2001 में नगर से ग्रामीण स्थानान्तरण बहुत कम (3.28 प्रतिशत) हुआ। जनपदान्तर्गत नगर से ग्रामीण स्थानान्तरण 0.96 प्रतिशत है, क्योंकि गाँवों की अपेक्षा नगरों में अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। विवाह, शिक्षा की समाप्ति, नौकरी की समाप्ति के बाद लोग

सहायक प्राध्यापक (भूगोल विभाग), आर.आर.पी.जी. कॉलेज, अमेठी (उत्तरप्रदेश)

अपने गाँव वापस आते हैं। वहाँ उनकी अचल सम्पत्ति होती है। राज्य के अन्य जिलों से 5.02 प्रतिशत लोग नगर से ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं। भारत के अन्य प्रान्तों से आने वाली संख्या कुल ग्रामीण स्थानान्तरण का 1.00 प्रतिशत है, जिसमें ग्रामीण से ग्रामीण में 42.05 प्रतिशत एवं नगर से ग्रामीण में 57.95 प्रतिशत स्थानान्तरण हुआ है। ग्रामीण से ग्रामीण की तुलना में नगर से ग्रामीण स्थानान्तरण अल्प है।

नगरीय स्थानान्तरण :

जनपद प्रतापगढ़ में 2001 में कुल नगरीय जनसंख्या का 1. 20 प्रतिशत नगरीय स्थानान्तरण हुआ। जिसमें स्त्रियों का कुल प्रतिशत 57.90 एवं पुरुषों का 42.10 प्रतिशत है। जनपदान्तर्गत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में 42.0 प्रतिशत स्थानान्तरण हुआ है। भारत के अन्य प्रान्तों से 4.0 प्रतिशत स्थानान्तरण हुआ है। तालिका से स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों से आव्रजित जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रतिशत अधिक है।

तालिका 3 : नगरीय जनसंख्या आव्रजन 2001
(प्रतिशत में)

क्र0	वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	42.00	45.00	55.00
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	54.00	36.00	64.00
3	भारत के अन्य प्रान्तों में पैदा हुए	4.00	39.52	60.48
कुल आव्रजन		**100.00**	**100.00**	**42.10**

ग्रामीण से नगर :

जनपद में 2001 में कुल नगरीय आव्रजन 1.20 प्रतिशत का 72.00 प्रतिशत ग्रामीण से नगर में स्थानान्तरण हुआ है। इसमें सर्वाधिक जनपदान्तर्गत 85.00 प्रतिशत ही हुआ है। राज्य के अन्य जिलों से 54.00 प्रतिशत एवं भारत के अन्य प्रान्तों से 4.00 प्रतिशत स्थानान्तरण हुआ है। गाँवों से नगरों की ओर लोग रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण एवं रहन–सहन के कारण आकर्षित हुए हैं।

नगर से नगर में स्थानान्तरण :

अध्ययन क्षेत्र में सन् 2001 में कुल नगरीय स्थानान्तरण का नगर से नगर में स्थानान्तरण 30 प्रतिशत है। सर्वाधिक भारत के अन्य प्रान्तों से 72 प्रतिशत जनपदान्तर्गत 14 प्रतिशत एवं राज्य के अन्य जिलों से 38 प्रतिशत स्थानान्तरण हुआ है। नगर से नगर की ओर स्थानान्तरण का प्रमुख कारण व्यवसाय का आकर्षण रहा है।

ग्रामीण प्रवजन :

अध्ययन क्षेत्र प्रतापगढ़ में कुल ग्रामीण 2586619 हैं, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 49.78 एवं स्त्रियों का प्रतिशत 50.22 है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रवजन 61.30 प्रतिशत जिले में ही हुआ है, जिसमें पुरुषों का अनुपात स्त्रियों से कम है। ग्रामीण जनसंख्या का विवरण तालिका में उल्लिखित है :

तालिका 4 : ग्रामीण जनसंख्या प्रवजन 2001

क्र0	वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	61.30	17.4	82.90
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	38.10	14.50	55.50
3	भारत के अन्य राज्यों में पैदा हुए	0.60	53.00	10.00
4	अन्य राष्ट्रों में	0.004	90.00	10.0.0
कुल		**100**	**28.30**	**71.70**

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वे एवं सूचना एंव सम्पर्क विभाग प्रतापगढ़ से संकलित।

उक्त तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों का सर्वाधिक प्रव्रजन जनपदान्तर्गत एवं राज्य के अन्य जिलों में हुआ है, जबकि पुरुषों का सर्वाधिक प्रव्रजन अन्य राष्ट्रों एवं भारत के अन्य प्रान्तों में हुआ है जो रोजगार, व्यवसाय एवं शिक्षा–प्रशिक्षण से सम्बन्धित है।

ग्रामीण से ग्रामीण स्थानान्तरण :

जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन सर्वाधिक हुआ है। कुल ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन 84.2 प्रतिशत है। जनपदान्तर्गत 96.01 प्रतिशत, राज्यों के अन्य जिलों में 65.75 प्रतिशत एवं भारत के अन्य राज्यों में 9.30 प्रतिशत ग्रामीण से ग्रामीण स्थानान्तरण हुआ है। अन्य राष्ट्रों में 0.04 प्रतिशत प्रव्रजन हुआ है। जनपदान्तर्गत निम्नवर्गीय लोग सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक तथा आवासीय सुविधा हेतु स्थानान्तरित हुए हैं। कुछ मध्यम एवं निम्न वर्गीय लोग दानस्वरूप भूमि पाते हैं, स्वयं या अपने परिवार के कुछ लोगों को वहाँ बसा देते हैं, जो कालान्तर में वहाँ के स्थायी निवासी बन जाते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण एवं ग्रामीण से नगरीय प्रव्रजन तालिका 5 से स्पष्ट है :

तालिका 5 : ग्रामीण प्रव्रजित जनसंख्या 2001
(प्रतिशत में)

क्र0	वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	60.83	96.01	3.99
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	38.62	65.75	34.25
3	भारत के अन्य राज्यों में पैदा हुए	0.51	9.30	90.70
4	अन्य राष्ट्रों में	0.004	–	–
कुल		**100**	**84.2**	**15.8**

ग्रामीण से नगर में प्रव्रजन :

अध्ययन क्षेत्र में सन् 2001 में कुल ग्रामीण प्रवजन का ग्रामीण से नगर में प्रवजन 15.8 प्रतिशत है। जनपदान्तर्गत कुल ग्रामीण प्रवजन 60.83 प्रतिशत का ग्रामीण से नगर में मात्र 3.99 प्रतिशत का प्रवजन हुआ है। अन्य जिलों में कुल ग्रामीण प्रव्रजन सबसे अधिक 34.25 प्रतिशत ग्रामीण से नगर में हुआ है। जनपदान्तर्गत प्रव्रजन एवं राज्य के अन्य जिलों में प्रव्रजन का सर्वाधिक मुख्य कारण रोजगार एवं विवाह पक्ष है। भारत के अन्य प्रान्तों में कुल ग्रामीण प्रव्रजन 0.51 प्रतिशत हुआ है। जिसका 90.70 प्रतिशत ग्रामीण से नगर में हुआ है। इसमें सर्वाधिक प्रव्रजन महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में हुआ है। महाराष्ट्र के उद्योगों (मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग) में कार्यरत रहने के कारण प्रव्रजन हुआ है। अन्य राष्ट्रों में कुल ग्रामीण प्रव्रजन, शिक्षा एवं व्यवसाय हेतु हुआ है।

अन्य जिलों में ग्रामीण प्रव्रजन :

जनपद प्रतापगढ़ से प्रान्त के अन्य जिलों में 38.62 प्रतिशत ग्रामीण प्रव्रजन हुआ है। इसमें सर्वाधिक इलाहाबाद एवं सबसे कम बदायूं, एटा, हम्मीरपुर एवं ललितपुर में 0.04 प्रतिशत हुआ है।

अन्य प्रान्तों में ग्रामीण प्रव्रजन :

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रव्रजन भारत के अन्य प्रान्तों में हुआ है, जिनकी कुल जनसंख्या 13650 (0.5) प्रतिशत है।

नगर से प्रव्रजन :

जनपद प्रतापगढ़ के कुल नगरीय प्रव्रजित जनसंख्या में पुरुष 53.6 प्रतिशत एंव स्त्रियाँ 46.4 प्रतिशत हैं। जिसका विवरण तालिका से स्पष्ट है :

तालिका 6 : नगरीय जनसंख्या प्रव्रजन 2001 (प्रतिशत में)

क्र0	वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	36.01	47.02	52.98
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	38.7	51.80	48.20
3	भारत के अन्य राज्यों में पैदा हुए	24.76	63.5	36.5
4	अन्य राष्ट्रों में	0.53	54.5	45.5
	कुल	100	53.6	46.4

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वे एवं सूचना एवं सम्पर्क विभाग प्रतापगढ़ से संकलित।

नगर से नगर में प्रवजन :

जनपद से कुल प्रवजनित जनसंख्या में सर्वाधिक नगरों से नगर में 81.35 प्रतिशत प्रवजन हुआ है। अध्ययन क्षेत्र के कुल प्रवजन नगर से नगर में 84.02 प्रतिशत है। अन्य वर्गो में प्रवजन तालिका 7 से स्पष्ट है :

तालिका 7 : नगरीय प्रव्रजित जनसंख्या 2001 (प्रतिशत में)

क्र0	वर्ग	कुल	पुरुष	स्त्री
1	अध्ययन क्षेत्र में पैदा हुए	36.7	84.02	15.98
2	राज्य के अन्य जिले में पैदा हुए	38.5	82.50	17.50
3	भारत के अन्य राज्यों में पैदा हुए	24.76	78.50	21.50
4	अन्य राष्ट्रों में	0.04	–	–
	कुल	**100**	**81.35**	**18.65**

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वे एवं सूचना एंव सम्पर्क विभाग प्रतापगढ़ से संकलित।

नगर से ग्रामीण में प्रव्रजन :

नगर से ग्रामीण में प्रव्रजन भारत के अन्य राज्यों में 21.50 प्रतिशत हुआ है एवं न्यूनतम 15.98 प्रतिशत अध्ययन क्षेत्रान्तर्गत हुआ है।

अन्य जिलों से नगर में प्रव्रजन :

जनपद से राज्य के अन्य जनपदों में 38.5 प्रतिशत, नगर से नगर में 82.50 प्रतिशत नगर से ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 प्रतिशत प्रव्रजन हुआ है। प्रदेश के समस्त प्रव्रजित जनपदों को पाँच वर्गो में बाँटा गया है :

प्रथम वर्ग (0.5 प्रतिशत से कम) : इसके अन्तर्गत राज्य के सर्वाधिक जिले बदायूँ, मथुरा, बुलन्द शहर, एटा, हमीरपुर, गाजीपुर, देवरिया, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुजफ्फरपुर, मैनपुरी, फरुखाबाद सम्मिलित हैं। इनका प्रतिशत 4.7 है।

द्वितीय वर्ग (0.5–2.00 प्रतिशत) : इसमें अलीगढ़, मिर्जापुर, खीरी, आजमगढ़, झाँसी, बस्ती, गोरखपुर, उन्नाव, गोण्डा, बरेली, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, सम्मिलित हैं। इनका प्रतिशत 20 है।

तृतीय वर्ग (2.00–8.00 प्रतिशत) : इस वर्ग के अन्तर्गत वाराणसी, मेरठ, जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ हैं, जिनका क्षेत्रांश 19 प्रतिशत है।

चतुर्थ वर्ग (8–16 प्रतिशत) : इस वर्ग के अन्तर्गत फैजाबाद, लखनऊ आते हैं जिनका क्षेत्रांश 20 प्रतिशत है।

सर्वाधिक प्रव्रजन कानपुर (19.8 प्रतिशत) में हुआ है, क्योंकि कानपुर में बहुत से उद्योग हैं जिनमें अधिकांश लोग रोजगार पाये हुये हैं। कुछ लोग वहाँ जाकर व्यवसाय में भी संलग्न हैं।

सन्दर्भ :

(1) गोल्डेन, वी0एच0 (1968) : लिटरेसी वा0एम0सी0 मिलन कम्पनी।

(2) *चंदना आर0सी0 एण्ड एम0एस0 सिद्धू (1980) : जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिसर्स, नई दिल्ली, पृ. 96.*

(3) *दिवार्था, जे0टी0 (1969) : जाग्रफी आफ पापुलेशन, वर्ल्ड पैटर्न जान विलियर्ड सन्स, न्यूयार्क, पृ. 171.*

(4) *जनपदीय विकास पुस्तिका : जनपद प्रतापगढ़ (उ0प्र0), 1996, पृ. 8–30.*

(5) *इशिदा हिरोशी (1972) : ए शिडयूल्ड फार दी जजमानी एण्ड गिफ्ट इक्सचेंज, पृ. 135.*

❁❁